2/3/15 पत्रावली पेश हुई। वादी व प्रतिवादी उप०। पत्रावली में प्रतिवादी अधि० द्वारा प्रार्थना पत्र पेश किया गया एवं वादी अधि० द्वारा जवाब मौखिक रूप में दिया गया।

पत्रावली में यह बात सामने आयी, जोकि वादी अधि० द्वारा वाद पत्र में एवं आज की दोहराई गई की, उसी खसरा न०, एवं उसी खातेदारों के समक्ष, अति० कलेक्टर न्यायालय में 14(5) LR के तहत प्रार्थना पत्र वाद दाखिल होने से पहले किया जा चुका है जो कि अभी तक निर्णित नहीं है।

आज वादी अधि० द्वारा बहस में बोला गया कि अति० कले० न्यायालय में, 14(5), केवल एक प्रार्थना पत्र है परन्तु उपखण्ड न्यायालय के समक्ष यह 88, 89, 209 के तहत

Attd.

PS

declaration का वाद फाईल
किया गया है। यह वाद
खारिज होने योग्य है, क्योंकि

1) ऐसा वाद तभी इस न्यायालय
मे लाना उचित है जब 14(5)
के तहत कोई प्रार्थना पत्र
प्रतिवादी का अलोटमेंट खारिज
करने को न लगाया गया हो
क्योंकि 88 धारा मे 14(5)
UR सममलित है।

2) अब जब प्रार्थना पत्र दाखिल
हो की गया है तो उपरोक्त
न्यायालय का जो भी निर्णय
होगा, उससे यह वाद प्रभावित
होगा। अगर उपरोक्त न्यायालय
ने, यह वाद प्रतिवादी के हक मे
यानी अलोटमेंट को सही मानते
हुए किया, तो यह वाद का
आधार मूल नहीं रह जायेगा,
और अगर वादी के हक मे
हुआ तो उपरोक्त खसरा बिलानाम
सरकार दर्ज किया जायेगा
और उसपर 88 का वाद
या पुन: अलोटमेंट नहीं होगा

Scanned by CamScanner

	की तामील में जारी हु
जब सरकार द्वारा बिलानाम जमीन पर कब्जे की दिनांक तय की जायेगी । अत: वाद खारिज किया जाता है।	14-5-
उपखण्ड अधिकारी बीघवाड़ (राज.)	